न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

58

68

अपील 154-I/08

कोषालय
19846299
18-2-08

शासन म.प्र. द्वारा उप पंजीयक सतना जिला सतना म.प्र. ----- अपीलार्थी

बनाम

(1) संदीप कुमार अग्रवाल तनय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी धवारी थाना सिटी कोतवाली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

(2) श्रीकृष्णा कुमारी तनय हेमराज बरमानी निवासी धवारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश ---------------------- उत्तरवादीगण

क्रमांक 261 आज रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 18-2-08 को प्राप्त
क्लर्क (अपील) राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
आ. क्र. 261
दिनांक 18-2-08

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 878/अपील/06-07, आदेश दिनांक 3.11.2007

अपील अन्तर्गत धारा 47 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

मान्यवर,

अपीलार्थी की अपील निम्नानुसार है -

माननीय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 878/अपील/06-07, आदेश दिनांक 27.10.2006 के विरुद्ध राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु म.प्र. शासन वाणिज कर, विभाग मन्त्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 17.1.08 क्रमांक बी-14-222/07/2/5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है, तथा यह अपील प्रस्तुत करने हेतु वरिष्ठ उप पंजीयक सतना को अधिकृत किया गया है।

राजेन्द्र प्रसाद पाठक
बे.मी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 154–एक/2008 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–16	अपीलार्थी की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया। 2/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो अपील मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 878/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 03.11.07 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (आगे जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है । 4/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा दस्तावेज में वर्णित संपत्ति का पंजीयत दिनांक 22.06.06 को कराया गया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मुद्रांक अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा स्टाम्प शुल्क निर्धारित हेतु स्टाम्प कलेक्टर के पास प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जहां पर स्टाम्प कलेक्टर ने विचारण पश्चात बाजार मूल्य 10,12,300/– से बढ़ाकर 21,29,340/– निर्धारित किया गया तथा कमी मुद्राक शुल्क 1.04,340/– तथा पंजीयन शुल्क	

8,936/– कुल रुपये 1,16,276/– रुपये जमा किये जाने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । जहॉ प्रकरण क्रमांक 878/अपील/06–07 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 03.11.07 को अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते हुये अनावेदक की अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

5/ अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया । प्रश्नाधीन भूखण्ड भवन सतना वार्ड 28 में बस्ती के भीतर स्थित है। मकान आर.सी.सी का बना तीन मंजिल स्थित है । भूतल में 2000 वर्गमीटर पर निर्मित है एवं प्रथम तल में 2000 वर्गफिट पर निर्मित है । द्वितीय तल पर 30.36 वर्गमीटर में निर्मित है । मकान के पीछे खाली शेष भूमि पड़ी है। प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य गाईड लाईन वर्ष 06–07 के अनुसार निर्माण लागत आर.सी.सी. 4,400/– रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भूतल 186x4400=8,18,400/–रुपये, प्रथमतल 186x4400–5%=7,77,500/–रुपये, ऊपरी मंजिल 30.36 x4400–10%=1,20,200 रुपये, भूखण्ड 243.12

x1700= 4,13,300/– रुपये । इस प्रकार कुल बाजार मूल्य 21,29,400/–रुपये होता है । अतः प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 10,12,300/–रुपये से बढ़ाकर 21,29,400/–रुपये अवधारित किया जाता है । अनावेदक को कमी मुद्रांक शुल्क 1, 07,340/–रुपये , पंजीयन शुल्क 8,936/– रुपये, मुल 1,16,276/–रुपये चालान से जमा करने हेतु आदेशित किया गया । न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है । किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2007 निरस्त किया जाता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना के द्वारा की गई कार्यवाही विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य